

નોંદ:- ૫૬૬૨૬૭ ૫મ ઇન્કમ F710TP/18/707
 (૧૧મ 5/10/18 ને સાથે મળે છે)

स्थानीय परियोजना समिति की बैठक दिनांक 28/8/18 में लिये गए निर्णय की पालना में निम्नानुसार निर्णय लिखा गया है :-

1. मास्टर प्लान अनुसार संरक्षित भूमि का भू-उपयोग अवस्थिति प्रोजेक्टनार्थ दर्शित है। अद्वितीय मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत आवासीय प्रोजेक्टनार्थ किया गया है।
2. मुख्य सड़क का नागरिकाएँ 36 मीटर एवं प्रस्तावित सेक्टर सड़क का नागरिकाएँ 36 मीटर रखा जाये।
3. ले-आउट प्लान का तसरार सीमांकन एवं प्रमाणिकरण स्पष्टानुसार शाखा द्वारा किया गया है। परिशिष्ट विधान 8/7/18 अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत अर्पित प्रत्येक 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र मुख्यमंत्री धरणा जाये तथा भवन विधिवन 8.2.1.(ख)(V) के प्राधान्य को सम्मानित एवं जन आवास के पक्षकर्ताओं से सिफारिश दत्त हुए कुल गणना योग्य निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम। प्रतिशत आवास 750 रूम/डीयू निर्मित क्षेत्र जो भी कम हो, पर सामुदायिक भवन का निर्माण करना होगा। पूर्व में किये गये सीमांकन एवं प्रमाणिकरण मन्त्रालय पर 5 % Facility Area दर्शाया जाये। अतः Facility Area का कक्षा न्याय की सम्मतिवित्त अभियानिकी शाखा सख्त तृतीय द्वारा प्राप्त कर न्याय सम्पत्ति का बॉर्ड लगाया जाये।
4. एकूँकृत मुख्य विधिवन 2017 के अनुसार निम्नानुसार तकनीकी मापदण्ड को जार्य -

संदर्भ :

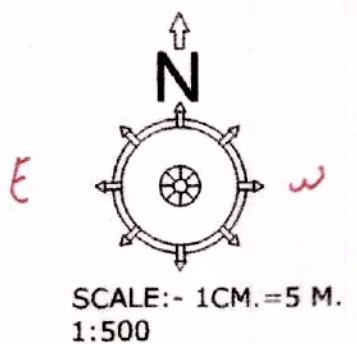
दिना	एकीकृत भरण विनियमन 2017 अनुसार	मुखमंत्री वन आवास योजना 2015 अनुसार		आवेषक ह प्रस्तुत
		15 मी. ऊँचाई तक विभाग प्रस्तावित किये जावे पर	15 मी. ऊँचाई से अधिक विभाग प्रस्तावित किये जाने पर	
अग्र	9	8	9	9
अन्य	9, 9, 9	3, 3, 3	6, 6, 6	6, 6, 6

अवधि	१, १, १	३, ३, ३	६, ६, ६	६, ६, ६
अधिकतम आवासित क्षेत्र =	50			
मासिक बी.आर =	3.375	विना देयकेंद्र लेवी को)		
इंटेन्सिटी टी.ए.आर =	3.375			
अधिकतम ऊँचाई =	एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार			
अव्य मापदण्ड =	एकीकृत भवन विनियम 2017 एवं			
मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अनुसार				
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रायमनों की पालना की जानी होगी।				
6. नियमनुसार ई.डी.सी. राशि व अव्य देय शुल्क जमा करवाये जाते होंगे।				
7. टाउनशिप पोर्सीसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जाये।				
8. ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारु रूप से हो सके।				
9. पड़े ज़रूरी कनेजे से पूर्ण खनिमिव, क्षेत्रफल व अव्य ऑफ्ट विवाद व हो इस बाबत सुनिश्चिता कर ली जावे।				
10. पड़े ज़रूरी कनेजे से पूर्ण सैके पर ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार भूखण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित सैकी जाये।				

161) वरिष्ठ नगर सियाजक
नगर विकास न्यास को

275 part 274 279 PART, 145
144 /144/145
part

APPLICANT NAME



S.NO.	KHASRA & NO.	TOTAL AREA IN HECT.	SCHEME AREA _SQ.MT.
1	KH.NO. 274/144	0.18	1800.00
2	KH.NO. 275/144	0.47	4580.00 PART EAST SIDE
3	KH.NO. 279/145	0.13	240.00 PART SOUTH SIDE
3	KH.NO. 145	0.12	120.00 PART NORTH SIDE
TOTAL		0.90	6740.00 PART

S.NO.	PARTICULAR	AREA IN SQ.M.
1	RESI.MMJAY. AREA	5820.00
2	UNDER SECTOR ROAD	670.00
2	UNDER ROAD	250.00
	TOTAL AREA	6740.00

UNDER ROAD AREA

SIGNATURE
ARCHITECT/CIVIL ENGG.
NAME/ ADDRESS/ L.I.C. NO.

SIGNATURE
OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS

NAME/ ADDRESS
Wams
21/01/14 2 वि सीया
पुनराव

EMINENT ENGINEER'S
G. S. NO. 1012

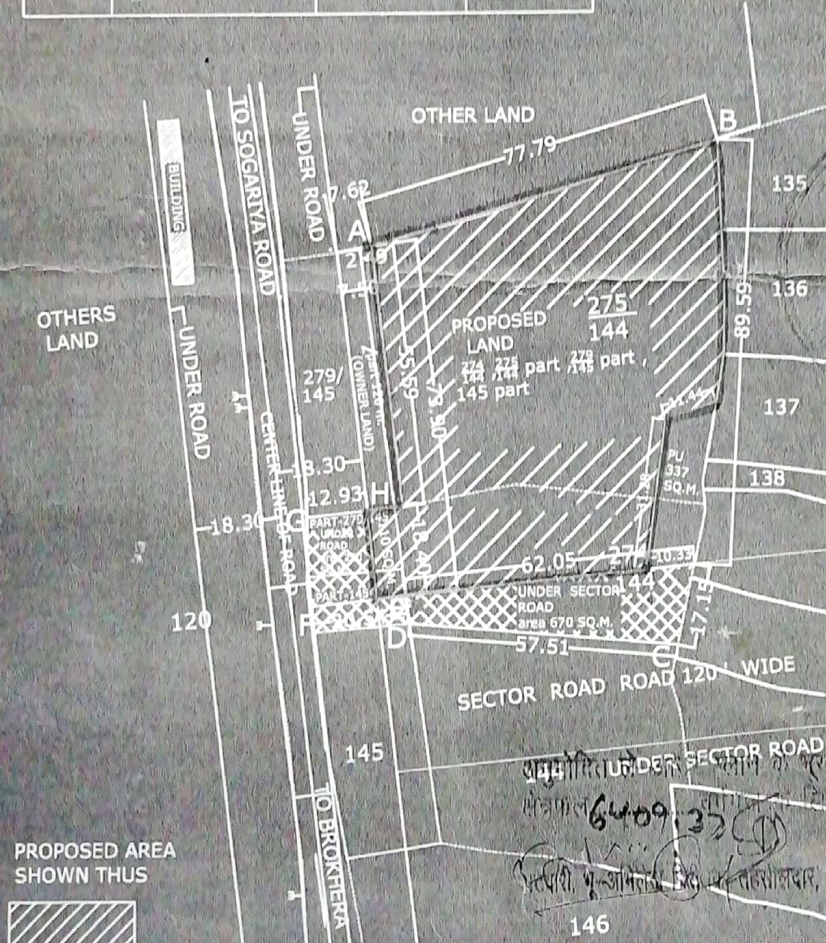
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUDIODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SITE PLAN OF RESIDENTIAL MUKHAYA MANTRI JAN AWAS YOJNA "
KHASRA NO.

275 part 274 273
144 part 143 142
PART, 145 part
VILLAGE:-MANPURA TEH-LADPURA, DIST.-KOTA
APPLICANT NAME:-MANOJ KUMAR S/O MOHAN LAL,
SH. RAMNATH S/O UDA, DHANRAJ MEENA S/O
SAKAL CHAND & RAVI MEENA S/O SATYA NARAYAN MEENA
85, ARJUNPURA, MAIN ROAD KOTA

S.NO.	PARTICULAR	AREA IN SQ.M.	%
1	RESI.MMJAY. AREA	5361.00	79.54
2	ROAD	1042.00	15.46
2	PU	337.00	5.00
	TOTAL AREA	6740.00	100.00



OWNER SIG
6409/35
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT